मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-11-17/2014-नियम-चार   भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में तृतीय समयमान वेतन (Time Scale Pay).

संदर्भ:—वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-11-17-2014-नियम-चार, दिनांक 30 सितम्बर 2014.

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने विषयक योजना प्रभावशील की गई है. इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा विभिन्न स्थितियों बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है.

2. ऐसी स्थितियों के समग्रता से परीक्षणोपरांत एवं विचारोपरान्त निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:—

क्र.	स्थिति	स्पष्टीकरण
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कर्मचारी की सेवा में प्रथम नियुक्ति (सीधी भरती के पद पर) होने के पश्चात 24 वर्ष की सेवा उपरांत द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान से निम्न वेतनमान में प्रथम पदोन्नति एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान के समतुल्य वेतनमान में द्वितीय पदोन्नति होने के पश्चात 30 वर्ष की सेवा दिनांक 1-6-2003 को पूर्ण होने पर क्या दिनांक 1-7-2014 को तृतीय समयमान की पात्रता होगी?	वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 के अनुसार जिन संवर्गों में सीधी भरती होती है उनमें नियुक्ति पश्चात निर्धारित 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पूर्व दो क्रमोन्नति वेतनमान/दो पदोन्नति एवं दो समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान उच्च होने पर दिनांक 1-7-2014 को तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता है.
क्र.	**उठाये गये बिन्दु**	**स्पष्टीकरण**
2.	तृतीय श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी की शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति (सीधी भरती के पद पर) होने के पश्चात प्रथम पदोन्नति सहायक ग्रेड-2 के पद पर होने के साथ-साथ 24 वर्ष की सेवा पश्चात द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त करने के उपरांत द्वितीय पदोन्नति लेखा सहायक/सहायक ग्रेड-1 पर हो जाती है, क्या ऐसे कर्मचारी को 30 वर्ष की सेवा दिनांक 23-3-2009 को पूर्ण करने पर दिनांक 1-7-2014 को तृतीय समयमान की पात्रता होगी?	जी हां. तृतीय श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी की शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति (सीधी भरती के पद पर) होने के पश्चात दो पदोन्नति/दो क्रमोन्नति/दो समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है. अत: ऐसे शासकीय सेवक की दिनांक 1-7-2014 के पूर्व 30 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण होने की स्थिति में दिनांक 1-7-2014 से तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी.
3.	जिन शासकीय सेवकों को प्रारंभिक पद की नियुक्ति के पद से तीन पदोन्नतियों का लाभ प्राप्त हो चुका है, क्या उन्हें भी समयमान वेतनमान का लाभ देय होगा?	जी नहीं. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 सितम्बर 2014 के पैरा 2 अनुसार तृतीय समयमान की पात्रता प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से किसी सीधी भरती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के आधार पर होगी.

समयमान वेतनमान का लाभ अनुमत्य किये जाने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने हेतु म. प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-1-2008-नियम-चार, दिनांकक 24 जनवरी 2008 यथास्थिति लागू रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.